# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 34/24 GCMS NO 2024/52

1. मूडया पुत्र जिन्सी
2. हीरालाल पुत्र जिन्सी
3. भरोसी पुत्र घमण्डी
4. हरि पुत्र घमण्डी
5. सुरेश पुत्र हीरालाल जातियान मीना निवासीयान डूडयापुरा(कीरतपुरा) तहसील सपोटरा

अपीलांट

बनाम

1. दयाल पुत्र कन्हैया
2. कमल पुत्र भोरया जातियान मीना निवासीयान डूडयापुरा(कीरतपुरा) तहसील सपोटरा
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 51/17 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.3.24 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सपोटरा )

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम प्रकाश गर्ग
अभिभाषक रैस्पो0 श्री बृजेन्द्र गौतम

दिनांक 6.3.25

## निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 13.3.24 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सपोटरा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 40/1/2 नवीन ख0न0 40/857 रकबा 5 बीघा भूमि वाके ग्राम गज्जूपुरा तहसील सपोटरा मे स्थित वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि से अन्य दीगर व्यक्ति का कोई वास्ता नही है। वादीगण की उक्त आराजीयात का दिनांक 29.6.17 को भूमि का सीमाज्ञान राजस्व कर्मियो ने उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के आदेश पर मौके पर जरीब चलाकर तैयार किया तथा मौके पर पत्थर लगार सीमाचिन्ह कायम किये और वादीगण की पडौसी खातेदार द्वारा हमारे हिस्से की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर वादीगण को पुनः भौतिक रूप से कब्जा संभलवाया गया। दिनांक 1.7.17 को प्रतिवादीगण व वादीगण के भूमि पर एकराय होकर आ गये उक्त सभी ने सीमाज्ञान पत्थरगढी शुदा हमारी खातेदारी की भूमि के हिस्से पर अवैध रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:47:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

से पुनः कब्जा कर जोत लगा दी। हमने प्रतिवादीगण से सीमाचिन्हो को उखाडने व अवैध रूप से हमारी भूमि पर कब्जा नही करने से रोका तो प्रतिवादीगण हमसे मौके पर आमदा फसाद होने पर उतारू हो गया। अतः दावा वादी इस आशय से डिक्री किया जावे कि वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 40/1/2 जिसका नवीन न0 40/857 रकबा 5 बीघा ग्राम गज्जूपुरा तहसील सपोटरा पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण हो हटाया जावे तथा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी से कायम सीमाचिन्हो को उखाडने फेंकने से हुई न्यायालय अवमानना कृत्य पर भारी शास्ति प्रतिवादीगण के खिलाफ जारी की जावे तथा हमे हमारी भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वादी की उक्त आराजीयात मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस [redacted]लय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यो एवं कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। वादी ने दावा 183 व 88 आर टी एक्ट के तहत पेश किया है। विवादित भूमि पर कब्जा कब से है यह स्पष्ट नही किया है साथ ही अपने अभिकथनो के संबंध मे कोई शपथ पत्र पेश किया है। वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य नही कराई है। इस कारण वादी के अभिकथनो को प्रमाणित नही माना जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय मे दावे मे तनकीयात दिनांक 11.8.21 को कायम की गई । तनकीयात कायम होने के बाद नियमानुसार अधिकतम तीन अवसर दिये जाने चाहिए थे लेकिन दिनांक 8.9.21 से 4.1.23 तक लगभग 10 अवसर अदालत द्वारा साक्ष्य वादी को दिये गये लेकिन वादीगण की और से ना तो शपथ पत्र पेश किया गया ना ही वादीगण को जिरह के लिए उपस्थित किया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 4.1.23 को वादीगण की शहादत बंद कर दी गई इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी के पक्ष मे गलत रूप से किया गया है। वादीगण स्वयं खाने शहादत मे नही आये ना ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को साबित कराया गया ना ही दस्तावेजो पर प्रदर्श डाले है । कानूनन वादीगण को स्वयं के पेरो पर खडा होकर अपने अभिवचन साबित करने चाहिए थे जो वादीगण ने नही किये है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। तनकी संख्या 2 को साबित करने क[redacted]ी पर था वादीगण द्वारा दावा मे धारा 183 आर टी एक्ट के तहत दखल [redacted] वादीगण की और से दावा मे कही भी यह दर्ज नही किया कि प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा [redacted]दित आराजी पर किस तारीख को किस प्रकार किया गया। पत्थरगढी के मुकदमे मे दखल की [redacted]ादरसी नही दी जा सकती है। वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:47:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पत्र के पैरा संख्या 2 मे वादीगण ने दिनांक 1.7.17 को पुनः कब्जा कर जोत लगाना दर्ज किया है। प्रतिवादीगण का दिनांक 1.7.17 से पहले कब से कब्जा था और यह कब्जा अदालत के किस आदेश से वादीगण ने प्राप्त किया। दावा मे दर्ज नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय मे अभिवचन नही होने के उपरान्त भी तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष मे साबित कर वादी का दावा विधि विरूद्व डिकी कर कानूनी भूल की है। वादीगण को स्वयं के अभिवचन स्वयं की साक्ष्य से साबित कराने थे जो नही कराये और दावा साबित नही होने की स्थिति मे प्रतिवादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य बंद कर दी गई। प्रतिवादीगण का कोई काउन्टर क्लेम नही था । वादीगण को अपना दावा स्वयं ही साबित करना था जो उन्होने नही किया। फिर भी तनकी संख्या 3 को अदालत मातहत द्वारा यह लिखते हुए कि तनकी संख्या 1 व 2 को वादीगण के पक्ष मे साबित माना है इसलिए तनकी संख्या 3 को भी वादीगण के पक्ष मे साबित मानने मे कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभिवचनो के मुताबिक तनकीयात कायम नही की गई है। जबाब दावे के जो कानूनी अभिवचन है उस पर कोई तनकीयात कायम नही की गई है ना ही इन बिन्दुओ पर गौर किया है ना ही जबाब दावा अनुसार निर्णय पारित किया गया है। वादीगण ने दावा अन्दर मियाद पेश किया है साबित करना होता है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय ना तो दावे व जबाब दावे के अभिवचनो का विवेचन किया है ना ही इसके आधार पर विस्तृत निर्णय किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि आराजी ख0न0 40/1/2 नवीन ख0न0 40/857 रकबा 5 बीघा भूमि वाके ग्राम गज्जूपुरा तहसील सपोटरा मे स्थित रेस्पो/वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि से अपीलांट का कोई वास्ता नही है। रेस्पो0 की उक्त आराजीयात का दिनांक 29.6.17 को भूमि का सीमाज्ञान राजस्व कर्मियो ने उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के आदेश पर मौके पर जरीब चलाकर तैयार किया तथा मौके पर पत्थर लगार सीमाचिन्ह कामम किये और हम रेस्पो0 के पडौसी खातेदार अपीलांटान द्वारा हमारे हिस्से की भूमि पर किये गये अतिकमण को हटाकर हम रेस्पो0 को पुनः भौतिक रूप से कब्जा संभलवाया गया। दिनांक 1.7.17 को अपीलांटान हम रेस्पो0 के भूमि पर एकराय होकर आ गये उक्त सभी ने सीमाज्ञान पत्थरगढी शुदा हमारी खातेदारी की भूमि के हिस्से पर अवैध रूप से पुनः कब्जा कर जोत लगा दी। हमने अपीलांटान से सीमाचिन्हो को उखाडने व अवैध रूप से हमारी भूमि पर कब्जा नही करने से रोका तो अपीलाटान हमसे मौके पर आमदा फसाद करने लगे। इस कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुरूप ही दावा एवं जबाब दावे के अनुसार ही तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर साक्ष्य ली जाकर तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय आराजीयात पर अपीलाट का अवैध कब्जा मानकर ही अपीलांट को भूमि से बेदखल करने के आदेश कानूनन ही दिये गये है। वादी/रेस्पो0 द्वारा दावे मे पत्थरगढी के बाद कब्जा संभलाने का कथन किया है इससे सिद्व है कि पत्थरगढी से पूर्व भी विवादित आराजीयात पर वादी का ही कब्जा था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:47:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील रेस्पो0/वादी को हेरान परेशान करने की नियत से पेश की गई है। जबकि विवादित आराजीयात से अपीलांट का किसी प्रकार का कोई सबंध वास्ता नही है। उक्त आराजीयात की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे वादी/रेस्पो0 के नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के पश्चात प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन कर ही निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मनगढन्त एवं निराधार होने से खारिज योग्य है। जो खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ख0न0 40/1/2 नवीन ख0न0 40/857 रकबा 5 बीघा ग्राम गज्जूपुरा रेस्पो/वादी की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे उपलब्ध फर्द मौका दिनांक 29.6.17 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आराजीयात का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी हुई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य नही कराई जाने के कारण पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात पर प्रदर्श नही डाले गये है इस कारण दस्तावेज पढे जाने योग्य नही है। जबकि विधि के प्रावधानो के अनुसार प्रत्येक दस्तावेज पर साक्ष्य ली जाकर प्रदर्श कायम किये जाने चाहिए । वादीगण द्वारा अपने बयान के संबंध मे किसी प्रकार का शपथ पत्र पेश नही किया गया है। जो मेडेटरी है। इसी प्रकार तनकी संख्या 3 का भी विस्तृत निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया गया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपूर्ण निर्णय है। जो निरस्त योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को साक्ष्य सबूत लिये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा के प्रकरण संख्या 51/17 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.3.24 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली जाकर विधि के प्रावधानो के तहत तनकी संख्या 3 का विस्तृत विवेचन कर, उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा के यहॉ दिनांक 24.4.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 6.3.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मीकांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:47:31 IST
Reason: SelfAttested